



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24615-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 162/2026

मर्तुजा अहमदयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: संजय कुमार मिश्र

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: अंकित गौड़ (स्थायी अधिवक्ता), रिशु मिश्रा हेतु यशराज सिंह गौड़

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह याचिका ग्राम-पराशी चकलाल, तहसील-सलेमपुर, जिला-देवरिया में 100 केवी (KV) का ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु प्रत्यर्थी को निर्देश देने की मांग के साथ दायर की गई है।
2. यह तर्क दिया गया है कि स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता पर्याप्त नहीं है और इसलिए, प्रत्यर्थियों को 100 केवी का ट्रांसफार्मर स्थापित करने का निर्देश दिया जाए।
3. याचिका के साथ-साथ दिए गए प्रत्यावेदनों में, बार-बार 100 केवी ट्रांसफार्मर स्थापित करने की मांग करने और यह इंगित करने के अलावा कि वहां बार-बार खराबी आती है, उठाए गए तर्क को स्थापित करने के लिए कोई अन्य तकनीकी पहलू रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है।
4. जो भी हो, चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन प्रत्यर्थियों के समक्ष लंबित हैं, इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर उचित रूप से और विधि के अनुसार विचार किया जा सकता है और यदि शिकायत वास्तविक पाई जाती है, तो उसके निवारण के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।
5. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

फरवरी 4, 2026

ज्योत्सना/मुकेश पाल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"